बृहत्त्रयी में स्त्रियों के मानवाधिकार :– एक विमर्श

***मन मोहन शर्मा**

शोध सारांश :–

विश्व के प्राचीनतम संस्कृतभाषा–साहित्य से हमें हमारी प्राचीनतम सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं होता, अपितु तत्कालीन समाज में स्त्री–पुरूषों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी भी प्राप्त होती है। स्त्री और पुरूष वैदिक काल से ही सामाजिक व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण पक्ष रहे है तथा एक श्रेष्ठ समाज वही कहा जा सकता है जिसमें उक्त दोनो पक्षों का सामंजस्यपूर्ण मिलन हो। महाकाव्यकालीन समाज में नारी के कर्तव्यों के साथ उन्हें प्राप्त अधिकारों का विमर्श करना भी अपेक्षित हो जाता है। महाकाव्यों में बृहत्त्रयी के नाम से प्रसिद्ध महाकाव्यत्रय के संदर्भ में यदि विवेचन किया जाये तो तत्कालीन समाज में नारी को शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त अधिकार, विवाहपूर्व एवं विवाहोपरान्त प्राप्त अधिकार, साम्पतिक अधिकार एवं समाज में नारी की स्थिति का विश्लेषण करना आवश्यक है। बृहत्त्रयी के मुख्य स्त्री पात्र द्रौपदी एवं दमयन्ती को केन्द्र में रखकर स्त्री के अधिकारों का विवेचन इस आलेख में प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द :– बृहत्त्रयी, वैदिकसाहित्य, महाकाव्यकाल, अथर्ववेद, उपनिषद्।

प्रस्तावना :–

सृष्ट्याारंभ से ही स्त्री आदि शक्ति के रूप में हमारी संस्कृति में पूज्या रही है। पुरुष के साथ स्त्री की महनीयता का स्वरूप अर्धांगिनी, माता, पुत्री, भगिनी आदि अनेक रूपों में मानव सभ्यता में सदैव उपस्थित रहा है। ऋग्वेद से प्रारंभ करके उपनिषद् ग्रंथों तक के साहित्य में गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, अपाला ,विश्ववारा, अदिति, लोपामुद्रा, आदि अनेक विदुषी नारियों का उल्लेख प्राप्त है। रामायण, महाभारत एवं पुराणग्रंथो में सीता, सावित्री, द्रौपदी, अनुसूया, दमयन्ती आदि स्त्रियों का न केवल उल्लेख है अपितु आज भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों के आदर्श रूप में इनका चरित्र स्थापित है। आदि शक्ति के रूप में माता दुर्गा की उपासना अद्यावधि में भी समग्र भारत भूमि में पूरे आदर भाव से की जाती है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में कौन परिचित नहीं है।

संस्कृत महाकाव्य की दीर्घकालीन परंपरा में वर्णित नारी की स्थिति उनके अधिकारों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने में कुछ हद तक सफल प्रतीत होती है। महाकाव्यों में स्त्रियों का चित्रण उदात्त प्रवृत्तिरूप सीता से लेकर अधम प्रवृत्तिरूप राजगणिका व वैश्या तक प्रदर्शित है। संस्कृत काव्यों में उक्त वर्गद्वय की स्त्रियों कि चरित्र गाथाएं प्रायशः प्राप्त होती है। महाकाव्य की कथावस्तु प्रायशः राजपरिवार के आस–पास ही घूमती है। यद्यपि अभिजात्य वर्ग को सामान्य जन से अधिक सुख सुविधाऐं एवं अधिकार प्राप्त होना स्वाभाविक है, तथापि सामान्य प्रजा में राजा के अनुकरण की प्रवृत्ति पायी जाती है। अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि जैसी स्थिति राजकुलों की स्त्रियों की रही होगी कुछ भेद के साथ वैसी ही स्थिति सामान्य स्त्रियों की भी रही होगी। प्रकृत अध्ययन में संस्कृत महाकाव्यों में बृहत्त्रयी के नाम से प्रसिद्ध महाकाव्यत्रय – भारविकृत किरातार्जुनीयम्, माघकृत शिशुपालवधम् एवं श्रीहर्ष रचित नैषधीयचरितम् के परिप्रेक्ष्य में ही स्त्रियों के मानवाधिकारों का विवेचन किया है।

स्त्री – अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :–

वैदिक काल में विदुषी नारियों का उल्लेखमात्र ही इस बात का प्रमाण है कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों को धार्मिक शिक्षा – दीक्षा एवं धार्मिक कार्यों के संपादन का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। ब्रह्मचारी छात्रों के समान ही ब्रह्मचारिणी छात्राएं भी वेदाध्ययन का समान अधिकार रखती थी। त्रिकाल संध्या एवं वैदिक स्तुतियां स्त्री के दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा होती थी। अनेकत्र वर्णन उपलब्ध है कि यजनकार्य बिना धर्मपत्नी के पूर्णता को प्राप्त नहीं होता था।

यथा अथर्ववेद में उल्लेख है :–

"शुद्धाः पूताः योषितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि।"

(अथर्ववेद 6/122/5)

''अर्थात् मैं शुद्ध, पवित्र यज्ञ की अधिकारिणी इन स्त्रियों को विद्वानों के हाथों में अलग–अलग रूप में प्रसन्नता से समर्पित करता हूं।''

इस मंत्र में योषित् (स्त्री) के लिए प्रयुक्त पूताः, शुद्धाः, यज्ञिया, विशेषण यह प्रमाणित करने में पर्याप्त है कि तत्कालीन स्त्री समाज यज्ञीय कार्यों में न केवल भाग ग्रहण अपितु स्वयं की अर्हतानुसार यज्ञ संपादन करने एवं करवाने का पूर्ण अधिकार रखता था।

वैदिक साहित्य में स्त्री को **''चतुस्कपर्दा''** कहकर भी संबोधित किया गया है। जिसका अर्थ यज्ञवेदी निर्माण में कुशलता से है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय स्त्री यज्ञीय अधिकार रखती थी। जन्म के बाद से ही नारियों को स्वतंत्र रूप से आध्यात्मिक व धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता प्राप्त थी। वैदिक काल में अनेक विदुषी स्त्रियां मंत्रदृष्टा हुई है। जिनका नाम वैदिक साहित्य में आदर सहित लिया जाता है।

अदिति एवं दिति जो कि महर्षि कश्यप की पत्नियां थी। इनसे वैदिक युग में देव व दैत्य की उत्पत्ति बताई गई है। ऋग्वेद के दशम मंडल के 72 वें सूक्त में अदिति द्वारा दृष्ट मंत्र है। देवासुर संग्राम में अदिति प्रमुखता से दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त दशम मंडल के ही 39 – 40 सूक्त के मंत्रों की रचना ऋषि कुक्षिवान की विदुषी पुत्री घोषा द्वारा की गई। इन सूक्तों में कन्याओं के लिए वेदाध्ययन से गृहस्थाश्रम में प्रवेश तक के अनेक कर्मों का वर्णन व नियम प्रस्तुत किये गये है। लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य की सहधर्मिणी पत्नी थी। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का 179 वां सूक्त लोपामुद्रा ने अगस्त्य के साथ रचा एवं गृहस्थ धर्म पर प्रकाश डाला।

महर्षि अंगिरा की पुत्री शश्वती ने ऋग्वेद के अष्टम मण्डल के प्रथम सूक्त में 34 वीं ऋचा की रचना की। जहां विदुषी शश्वती ने नारी को बुद्धि का एवं आत्मा को पुरुष का प्रतीक बताया है। बुद्धि की पवित्रता से ही आत्मा की शुद्धि संभव है। इस तरह स्त्री – पुरुष की परस्पर सामंजस्यता ही गृहस्थ धर्म का पालन है। यह विदुषी शश्वती ने स्पष्ट किया।

विदुषी अपाला जो कि महर्षि अत्रि की पुत्री हुई है। जिन्होंने ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 91वें सूक्त में इंद्र की स्तुति में मंत्र रचे और वैदिक इतिहास में तप एवं त्याग की मूर्ति बन गई।

इन वैदिक कालीन विदुषी ऋषिकाओं के अतिरिक्त उत्तर वैदिक काल हो चाहे रामायण, महाभारत, उपजीव्य काव्यों का समय या फिर पौराणिक काल हर काल में साहित्येतिहास में पुरुष के साथ स्त्रियों के योगदान ने भी भारतीय संस्कृति व समाज को उन्नत बनाया है। वैदिक एवं लौकिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञात है कि

स्त्रियां न केवल धार्मिक पठन – पाठन अपितु वाद्य यंत्रों, गायन, नृत्य आदि ललित कलाओं में भी निपुण थी। अतः मंत्रदृष्टा विदुषी वैदिक ऋषिकाएं, तपोनिष्ठ ब्रह्मचारणियां, उत्कृष्ट आदर्श गृहस्थ का उदाहरण प्रस्तुत करने वाली पतिपरायण देवियां हमारे सांस्कृतिक वैभव को प्रदर्शित करती है एवं ऐतिहासिक काल में नारी की उत्कृष्ट दशा को बतलाती है। इस प्रकार इतिहास में स्त्रियों को निम्न अधिकार मुख्यतः प्राप्त थे –

1. शिक्षा का अधिकार।
2. विवाह का अधिकार ।
3. समानता प्राप्ति का अधिकार।
4. पैतृक संपत्ति संबंधी अधिकार।

बृहत्त्रयी के परिप्रेक्ष्य में स्त्रियों के अधिकार :–

बृहत्त्रयी में परिगणित तीनों महाकाव्यों की आधारभूमि महाभारत है। इनमें प्रथम महाकाव्य किरातार्जुनीयम् की नायिका दौपदी है। किरातार्जुनीयम् के प्रारंभ में ही द्रौपदी युधिष्ठिर के निर्णयों का प्रतिकार करती है, जिसका प्रमुख कारण उसके अधिकारों का हनन होना ही है। कुरूवंश की संतति ने द्रौपदी का अपमान किया। महाभारत में एक महाराज की पुत्री, प्रतापी पांडवों की पत्नी एवं भगवान श्रीकृष्ण की सखी होते हुए भी द्रौपदी सर्वदा अपने संघर्षों में स्वयं अकेली ही रही है। उसके अधिकारों की चर्चा कहीं नहीं हुई। संस्कृत काव्यपरंपरा के स्त्री पात्रों में द्रौपदी एकमात्र ऐसा पात्र है जिसनें इतना अधिक अपमान वह अन्याय सहन किया है।

जहां वैदिक कालीन स्त्री को शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता, सम्मान आदि मूल अधिकार सुलभ व सहजता से प्राप्त थे वहीं महाकाव्य काल में नारी को अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्षरत देखा जा सकता है। बृहत्त्रयी काव्यों के स्त्री पात्र जहां एक तरफ अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु उपालम्भ देते दिखाई देते हैं वहीं दूसरी ओर स्वयंवर प्रथा से अपने प्रेम का चयन करते दिखाई देते हैं।

महाकवि भारवि की एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम् में कवि ने नायिका द्रौपदी के माध्यम से तत्कालीन स्त्री की वास्तविक स्थिति का चित्रण करने का प्रभावशाली प्रयास किया है। यहां यह भी परिलक्षित होता है कि जब द्रौपदी जैसी साम्राज्ञी को राजसुख से वंचित करके अपमानित किया जा सकता है तो सामान्य नारी के मूल अधिकारों की उस काल में क्या दशा रही होगी। अतः किरातार्जुनीयम् में द्रौपदी के वचन एवं विचार तत्कालीन सामान्य नारी के रूप में प्रतिबिंबित होते है, यह कहा जा सकता हैं। दूसरी तरफ महाकवि श्रीहर्ष ने नैषधीयचरितम् में नल–दमयन्ती की प्रेम कथा व स्वयंवर वर्णन में स्वयं पति को चुनने के अधिकार का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त माघरचित शिशुपालवध ऐसा महाकाव्य है, जिसकी कोई मुख्य नायिका नहीं है। यद्यपि शिशुपालवध में कोई मुख्य नायिका नहीं है तथापि सैनिकों के साथ यादव रमणियों का कामपरक वर्णन महाकाव्य में उपलब्ध होता है। ये युवतियां सैनिकों के साथ युद्ध स्थल तक आती हुई वर्णित है जिससे स्पष्टतया प्रतीत होता है कि इस काल में स्त्रियों को घर से बाहर जाने पर स्वतंत्रता प्राप्त थी।

महाकवि भारवि ने किरातार्जुनीयम् में द्रौपदी के राजनीतिक ज्ञान को बहुत निपुणता से प्रदर्शित किया है। युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी के उपालम्भपूर्ण वचन उसकी **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार** की पुष्टि करते है एवं द्रौपदी के **सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार** को केंद्र में रखते हैं। जब वनेचर द्वारा युधिष्ठिर को दुर्योधन की शासन नीतियों का भेद प्राप्त होता है तो भाइयों के साथ सामूहिक महत्वपूर्ण चर्चा में द्रौपदी को भी शामिल किया जाता है। इसमें यह तथ्य उभरकर आता है कि स्त्रियों को परिवार व कुल के सम्मान व मर्यादा से जुड़े विषयों पर

समानता का अधिकार प्राप्त था। द्रौपदी दुर्योधन की शासन व्यवस्था को सुनकर चुप नहीं रहती अपितु महाराज युधिष्ठिर को क्रोध में लाने के लिए प्रतिकार युक्त वचन कहने लगती है। द्रौपदी का यह व्यवहार तत्कालीन नारी की दशा को स्पष्ट करता है कि स्त्री को **प्रतिक्रिया करने का अधिकार** प्राप्त था एवं यथार्थतः यह एक स्त्री की **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार** ही है जो समस्त मर्यादाओं का परित्याग करके भी अपने प्रति हुए अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए स्वयं की भावाभिव्यक्ति का **सामाजिक अधिकार** दिलाता है।

द्रौपदी बुद्धिमती एवं एक शिक्षित नायिका है वह जानती है कि पांडवों ने द्यूतक्रीडा में राजसुख हार कर अनुचित कार्य किया है एवं स्वयं का ही वैभव नष्ट किया है। हस्तिनापुर की कुल परंपरा के पराक्रम की वह चर्चा करती है जिसे संरक्षित रखने में महाराज युधिष्ठिर को असमर्थ बतलाती है। वस्तुतः द्रौपदी युधिष्ठिर की सरलता के कारण छिने राजसत्ता से खिन्न है। अतः पत्नी के अधिकार से वह पांडवों की चेतना को प्रेरणा देने का प्रयास करती है । इन उपालम्भपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण वचनों में द्रौपदी की व्यवहार कुशलता के साथ उसका राजनीतिक विषयों का ज्ञान, सामान्य नीतिविषयक ज्ञान उभरकर सम्मुख आता है। इससे इस तथ्य को स्पष्टता मिलती है कि महाकाव्य के काल में स्त्रियों को **शिक्षा का अधिकार** प्राप्त था तथा राजकार्यों अथवा अन्य व्यावसायिक कार्यों में स्त्रियां अपने पति का सहयोग करती थी।

द्रौपदी शासन व्यवस्था की नीतियों से परिचित होने के साथ–साथ यह जानती थी कि वह साम्राज्ञी है एवं इस नाते हस्तिनापुर की संपत्ति पर उसका स्वाभाविक अधिकार है कौरवों के द्वारा छलपूर्वक छीनी गई संपत्ति एवं सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रौपदी का मन अत्यंत विचलित था, जिसके फल स्वरुप ही वह युधिष्ठिर का प्रतिकार करती है और युधिष्ठिर को युद्ध का निर्णय करने हेतु प्रेरित करती है, इससे यह स्पष्ट तथ्य उभरता है कि तत्कालीन नारी समाज को अपने पति के **संपत्ति में अधिकार** प्राप्त था।

भारतीय संस्कृति में पति का हितचिंतन एवं उसके सम्मान की रक्षा करना एक पत्नी का कर्तव्य माना जाता है। किरातार्जुनीयम् में द्रौपदी के माध्यम से इस तथ्य को पुष्ट किया है यथा अर्जुन के तपस्या हेतु जाने की सूचना पर द्रौपदी अपनी भावनात्मक पीड़ा को रोकते हुए अर्जुन का उत्साह वर्धन ही करती दिखाई गई है।

बृहत्त्रयी के महाकाव्य नैषधीयचरितम् में महाकवि भी श्रीहर्ष ने नल – दमयन्ती की प्रणय कथा के माध्यम से **स्वयंवर के अधिकार** को प्रकट किया है। दमयंती का स्वयंवर का अधिकार तत्कालीन समाज की सामान्य नारी को प्रदत्त सांस्कृतिक अधिकारों में से सर्वप्रमुख है। एक स्त्री को यह अधिकार प्राप्त था कि स्वयंवर में कोई राजा यदि उसके हृदय को आकर्षित नहीं कर पाता था तो वह उसे अस्वीकार कर सकती थी प्रतिकारस्वरूप उस स्त्री के इस व्यवहार पर प्रश्न उठाने अथवा अनर्गल व्यवहार प्रदर्शित नहीं किया जाता था। यह स्त्री के इस **सांस्कृतिक अधिकार** की पूर्णता दी थी।

नैषध में महाकवि श्रीहर्ष ने भगवती सरस्वती को दमयन्ती का मार्गदर्शक वर्णित किया है। सरस्वती वर्णन से श्रीहर्ष ने स्त्री की बुद्धिमत्ता एवं चातुर्य का वर्णन किया है। पंचनली प्रकरण में सरस्वती द्वारा प्रदत्त वैदुष्यपूर्ण परिचय से देवताओं का स्वरूप भी वर्णित है एवं उनका कपट अप्रकट ही रखा है। यह स्त्री की विलक्षण बुद्धि का परिचायक प्रकरण है कि सत्य भी कहा जाए एवं अपमान भी नहीं हो। स्त्री को **अपनी बात सतर्क रखने का पूर्ण अधिकार** है जिसका उपयोग करते हुए भगवती सरस्वती ने दमयन्ती को तर्कों के माध्यम से वास्तविक नल की पहचान कराई है।

निष्कर्ष :–

एक स्त्री जन्म से कुमारी तक माता–पिता के द्वारा संरक्षित होती है। पुनः विवाहोपरान्त अपने पति के साथ इस संसार की यात्रा में एक नए संसार को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण होती है। उक्त विमर्श में यद्यपि हमें वैदिक कालीन स्त्री समाज की अपेक्षा बृहत्त्रयीकालीन नारियों की अधिकार स्थिति में न्यूनता दिखाई देती है तथापि महाकाव्य काल में भी स्त्रियों को पर्याप्त **सामाजिक, विवाह संबंधी, संपत्ति विषयक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सम्मानित जीवन जीने संबंधी अधिकार प्राप्त थे।** स्त्री समाज की स्थिति न केवल परिवार में अपितु समाज एवं राजव्यवस्था के परिचर्चाओं में शामिल थी। स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इन सब के बावजूद यह कहना भी उपयुक्त होगा कि महाकाव्यकालीन स्त्री के अधिकार तत्कालीन पुरुष समाज को प्राप्त अधिकारों की तुलना में कमतर ही थे।

***सहायक आचार्य**
संस्कृत विभाग
शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह
राजकीय महाविद्यालय,
सवाई माधोपुर (राज.)

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कवि और काव्य, पंडित बलदेव उपाध्याय।
2. किरातार्जुनीयम्, आचार्य भारवि, चौखंबा संस्कृत सीरीज 1961।
3. नैषधीयचरितम्, श्रीहर्ष, निर्णयसागर प्रेस, बंबई 1952।
4. नैषधकालीन भारत, डॉक्टर गायत्री द्विवेदी, रचना प्रकाशन जयपुर 2007।
5. प्राचीन भारतीय साहित्य, डॉक्टर रामजी उपाध्याय।
6. बृहत्त्रयी और लघुत्रयी पर वैदिक प्रभाव, आचार्य डॉक्टर श्रीमती सुषमा स्नातिका 1992।
7. बृहत्त्रयी परिशीलन काव्य, शास्त्रीय खंड, प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी 2013।